REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042025-262441 CG-DL-E-12042025-262441

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] No. 302] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2025/चैत्र 21, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2025/CHAITRA 21, 1947

हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड

(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

श्रीनगर (गढ़वाल), 21 मार्च, 2025

पत्रांक : हे0न0ब0ग0वि0वि0/ शैक्षणिक/2025/114.— निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.—

अध्यादेश -27

विद्या वाचस्पति (पीएचडी) की उपाधि प्रदान करने हेतु अध्यादेश

(धारा 28 के तहत) एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, कार्यकारी परिषद द्वारा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर उत्तराखंड में पीएचडी डिग्री प्रदान करने हेतु निम्नवत अध्यादेश बनाता है –

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन :

1.1 इस अध्यादेश को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु) अध्यादेश 2022 कहा जायेगा ।

1.2 ये अध्यादेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु मापदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2022 के अनुसार बनाए गए हैं।

1.3 यह कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित तिथि से लागू होगा ।

2. परिभाषाएं – (1) इन विनियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) है;

(ख) अनुबंधक संकाय'' का अर्थ है एक अंशकालिक या आकस्मिक प्रशिक्षक, लेकिन पूर्णकालिक संकाय सदस्य नहीं, जो एक उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है ;

(ग) "संचित ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए)" का अर्थ सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचित प्रदर्श न का परिणाम है। सीजीपीए सभी सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा अर्जित कुल क्रेडिट अंकों तथा सभी सेमेस्टर में सभी पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट के योग का अनुपात है। इसे दशमलव के दो स्थानों तक व्यक्त किया जाता है;

(घ) ''क्रेडिट'' का अर्थ है एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या। एक सेमेस्टर में तीन-क्रेडिट पाठ्यक्रम का अर्थ है प्रति सप्ताह एक घंटे के तीन व्याख्यान जिसमें प्रत्येक एक घंटे के व्याख्यान को एक क्रेडिटके रूप में गिना जा सकता है;

(ङ) "महाविद्यालय" का अर्थ है उच्चतर शिक्षण और /या अनुसंधान में संलग्न एक संस्था, जिसे या तो किसी विश्वविद्यालय द्वारा इसकी घटक इकाई के रूप में स्थापित किया गया है या इससे संबद्ध है;

(च) 'आयोग' का अर्थ यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है;

(छ) ''पाठ्यक्रम'' का अर्थ उन विशिष्ट इकाइयों में से एक है जो अध्ययन के एक कार्यक्रम को शामिल करती हैं;

(ज) ''कोर्स वर्क'' का अर्थ है स्कूल/विभाग/केंद्र द्वारा पीएच.डी. उपाधि के लिए पंजीकृत शोधार्थी के अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम.

(झ) ''उपाधि'' का अर्थ है अधिनियम की धारा 22 (3) के प्रावधानों के अनुसार किसी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की गई उपाधि;

(ञ) ''बाह्य परीक्षक'' का अर्थ है एक शिक्षाविद/छात्रवृत्ति प्राप्त शोधकर्ता जो शोधकार्य प्रकाशित होने के साथ उसउच्चतर शिक्षण संस्थान में नियोजित नहीं है जहां पीएच.डी. शोधार्थी ने पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है ;

(ट) ''विदेशी शैक्षिक संस्थान'' का अभिप्राय- (i) उस देश में विधिवत स्थापित या निगमित संस्थान

(ठ) "पूर्णकालिक अनुसंधान उम्मीदवारों का अर्थ ऐसे उम्मीदवारों से है जो पूर्णकालिक आधार पर अनिवार्य आवासीय अवधि को पूरा करेंगे और विश्वविद्यालय या डीएसटी / डीबीटी / सीएसआईआर / यूजीसी आदि जैसी बाह्य एक एजेंसी द्वारा प्रदान की गई रिसर्च फेलोशिप प्राप्त कर सकते हैं;

(ड) "अंशकालिक अनुसंधान अभ्यर्थी " के अर्थ मे ऐसे अभ्यर्थीयों और संकाय / स्टाफ, जेआरएफ आदि जैसे परियोजना स्टाफ शामिल हैं जो विश्वविद्यालय के रोल पर हैं और विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं के लिए परियोजना पर्यवेक्षकों के अधीन काम कर रहे हैं। आगे ऐसे शोधार्थी जो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि कही और काम कर रहे हों पीएचडी कार्यक्रम की प्रगति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के इच्छुक हैं जैसे कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवासीय आवश्यकता/पाठ्यक्रम कार्य को अंशकालिक शोधार्थी (स्कूल/विभागों में जो अंशकालिक कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं) के रूप में नामांकित किया जा सकता है, बशर्ते कि उनके संगठन से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए और उनके संगठन में अनुसंधान कार्य करने के लिए सुविधाएं अध्ययन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार उपलब्ध हों। ऐसे अध्येताओं को विश्वविद्यालय द्वारा कोई शोध अध्येतावृत्ति/सहायता प्रदान नहीं की जाएगी;

3. पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड - निम्नवत अभ्यर्थी पीएचडी कार्यक्रम में अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र हैं :

3.1. पूर्णकालिक पीएच.डी. अभ्यर्थियों के लिए

3.1.1. - 4-वर्षीय/8-सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 1-वर्ष /2-सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा 3-वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2-वर्षीय/4-सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम योग्यता या संबन्धित विषय मे या संबंध अत: विषय मे पेशेवर डिग्री (कानून/अन्य संबद्ध विषय मे एल एल एम) संबंधित वैधानिक नियामक निकाय द्वारा स्नाकोत्तर के समकक्ष घोषित कुल मिलाकर काम से कम 55% अंको के साथ यू जी सी 7 बिन्दु पैमाने पर इसके समकक्ष ग्रेड बी (जहां ग्रेड सिस्टम की पालन किया जाता हों) एक बिन्दु पैमाने के समकक्ष ग्रेड) अथवा संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएं जहां प्रणाली का पालन किया जाता है अथवा एक मूल्यांकन द्वारा योग्यता, अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संगठन द्वारा सत्यापित एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन -क्रीमी लेयर)/ दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थि यों को समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुसार 5% अंको अंको की छूट 55% से 50 % तक अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते, 4-वर्षीय/8-सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 75% अंक होने चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड एक पॉइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है ; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन -क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए समय-समय पर आयोग के निर्णय के अनुसार 5% अंकों या ग्रेड में समतुल्य की छूट की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

यह भी प्रावधान है कि आवेदक द्वारा अपनाया गया विषय सजातीय विषय है या संबद्ध विषय, इस संबंध में कोई भी प्रश्न संबंधित अध्ययन बोर्ड और स्कूल बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।

3.1.2. जिन उम्मीदवारों ने हे.नं.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय से एम.फिल कोर्सवर्क को पूर्ण कर लिए है, साथ ही यूजीसी 7 पॉइंट स्केल के समकक्ष कम से कम 55: अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा जहाँ कहीं भी-ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड अथवा एम.फिल उपाधि समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो ऐसे समतुल्य योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी हे.नं.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय से पीएचडी कार्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे।

3.1.3. नौकरी पेशेवर अभ्यर्थी को पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपने नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा न कर दे, जिसमें खंड 6.2 के तहत निर्धारित आवासीय अवधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित अवधि के लिए अनुपस्थिति की छुट्टी की पुष्टि भी हो।

3.2. अंशकालिक पीएचडी अभ्यर्थियों हेतु

3.2.1. अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को गेट / नेट उत्तीर्ण होना चाहिए। तथापि, गेट/नेट की अपेक्षा से छूट केवल अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिनके पास प्रतिष्ठित शैक्षणिक/औद्योगिक संगठनों अथवा सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाओं में दो वर्ष का अनुभव है। आवश्यक योग्यता, अन्य नियम और शर्तें अध्यादेशों के अनुसार समान होंगी चयन प्रक्रिया पूर्णकालिक पीएचडी के लिए समान होगी। पंजीकरण, नामांकन, पाठ्यक्रम कार्य, पंजीकरण, संगोष्ठी, थीसिस प्रस्तुत करने आदि के बारे में अन्य दिशानिर्देश वही होंगे जो पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवारों पर लागू होते हैं जैसा कि इस अध्यादेश में प्रदान किया गया है।

बशर्ते कि संबंधित विभाग का अध्ययन बोर्ड और स्कूल बोर्ड किसी भी उम्मीदवार की पात्रता तय करने के लिए सक्षम होगा, यदि वह उपरोक्त मानदंडों में नहीं आता है और इसे अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

साथ ही कोर्स-वर्क को पूर्ण करने के प्रयोजनों के लिए इस अध्यादेश के खंड 3.1.3 में प्रदान की गई शर्तें अंशकालिक पीएचडी पर भी लागू होंगी।

4. कार्यक्रम की अवधि:

4.1. पूर्णकालिक पीएच.डी.

4.1.1. पीएचडी कार्यक्रम की अवधि कम से कम तीन (3) वर्ष की होगी, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य (कोर्सवर्क भी शामिल है) और अधिकतम छह साल के लिए होगी अभ्यर्थी को अपने शोध कार्य को पूरा करने और पीएचडी के लिए प्रवेश तिथि से अधिकतम छह साल की अवधि के भीतर थीसिस जमा करने की आवश्यकता होगी।

बशर्ते कि स्कूल बोर्ड, अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर विचार करने के बाद, एक बहुत ही विशेष मामलों में और दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अग्रिम केवल दो वर्षों के लिए विस्तार प्रदान कर सकता है पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ (8) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते कि यदि उम्मीदवार थीसिस प्रस्तुत करने के लिए अनुमत अवधि के भीतर थीसिस प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जिसमें उसके विस्तार की अवधि भी शामिल है, तो पीएचडी कार्यक्रम में उसका प्रवेश समाप्त होने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी और वह, इस तरह की समाप्ति पर, इस तरह के प्रवेश के लिए और उसके दौरान भुगतान किए गए समस्त शुल्क और अन्य बकाया राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

4.1.2. महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगजनों (40: से अधिक विकलांगता वाले) को अधिकतम अवधि में पीएचडी के लिए दो साल की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकती है, इसके अलावा, पुरुष / महिला उम्मीदवार शोधार्थी के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान एक बार भारत सरकार के नियमों के अनुसार पितृत्व अवकाश (15 दिन)/मातृत्व/चाइल्डकेयर अवकाश (240 दिन) के लिए पात्र होंगे।

4.2. अंशकालिक पीएचडी अभ्यर्थियों हेतु

4.2.1. एक अंशकालिक अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय में अंशकालिक अध्ययन में कम से कम चार साल में देने होंगे , जिसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज और स्कूल बोर्ड की अनुमति और कुलपति के उचित अनुमोदन के साथ किसी अन्य स्थान पर अनुसंधान के लिए व्यय किया गया समय शामिल है।

बशर्ते कि अंशकालिक अभ्यर्थी चार साल की अवधि में कम से कम दो सेमेस्टर की कुल अवधि आवासीय हेतु विश्वविद्यालय में रखेंगे।

4.2.2. छह साल अधिकतम अवधि होगी जिसमें अंशकालिक अभ्यर्थी शोध कार्य पूर्ण करेगा और मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करेगा, हालांकि यह समय छह महीने के दो विस्तार (एक्सटेंशन) में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, यदि अंशकालिक अभ्यर्थी बोर्ड ऑफ स्टडीज और स्कूल बोर्ड को इस तरह के विस्तार के लिए लिखित रूप में अनुरोध करता है। इस संबंध में बोर्ड ऑफ स्टडीज और स्कूल बोर्ड की कोई भी सिफारिश कुलपति द्वारा अनुमोदन के बाद ही प्रभावी होगी।

5. प्रवेश की प्रक्रिया:

5.1. हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय पीएचडी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्रदान करेगा। हालांकि, आवेदकों की निम्नलिखित श्रेणियों को प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी-

- i) इस विश्वविद्यालय के नियमित नियुक्त शिक्षक।
- ii) टीचर फेलो (यूजीसी योजना के तहत) ।
- iii) नेट/स्लेट (उत्तराखंड)/गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ।
- iv) हे.नं.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय के संबंधित विषयों के एम. फिल अभ्यर्थियों ।
- v) अंशकालिक पीएचडी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों।

5.2. हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय:

5.2.1. उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर पीएचडी शोधार्थियों की एक पूर्व निर्धारित और प्रबंधनीय संख्या में प्रवेश दिया जाना है इस बाबत अपने शैक्षणिक निकायों के माध्यम से वार्षिक आधार पर निर्णय लें। साथ ही अनुसंधान पर्यवेक्षकों की संख्या और अन्य शैक्षणिक और भौतिक सुविधवाओं को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी-शिक्षक अनुपात (जैसा कि खंड 8.5 में दर्शाया गया है), प्रयोगशाला पुस्तकालय और ऐसी अन्य सुविधाओं के मानदड को ध्यान में रखें।

5.2.2. विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से और कम से कम दो (2) राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से जिसमें कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा मे हों अग्रिम रूप से सूचित करें कि प्रवेश के लिए विषय/विषय-वार सीटों की संख्या उपलब्ध सीटो का विषयवार / संकायवार वितरण , प्रवेश हेतु मानदंड कितनी है। प्रवेश के लिए प्रक्रिया, परीक्षा केंद्र (ओ) जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और उम्मीदवारों के लाभ के लिए अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी हो।

5.2.3. भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करना, जैसा लागू हो

5.3. प्रवेश हे. नं.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित वैधानिक /नियामक निकायों द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों / मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए,और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किये गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए, संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा।

5.4. हे.नं.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार दो स्तरों के माध्यम से अभ्यर्थियों प्रवेश देगा ।

5.4.1 - प्रवेश परीक्षा जो 50% अंक अर्जित कर अर्हता प्राप्त होगी प्रवेश परीक्षा में 50% प्रश्न शोध प्रद्धति तथा 50% विशिष्ठ विषय के पूछे जायेंगे। प्रवेश परीक्षा संबंधित अधिसूचित केंद्र (केंद्रों) की जानकारी पूर्व में दी जाएगी।

प्रवेश परीक्षा में आयोग द्वारा द्वारा समय - समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/ दिव्यांग वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा में 5% अंकों (50% से 45% तक)की छूट की अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि उपर्युक्त छूट के बावजूद, यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर/भिन्न रूप से सक्षम श्रेणियां) के लिए आबंटित सीटें भरी नहीं जाती हैं, तो विश्वविद्यालय सामान्य श्रेणी के दाखिले के बंद होने की तारीख से एक माह के भीतर विशेष श्रेणी के लिए विशेष दाखिला अभियान चलाएगा। विश्वविद्यालय पात्रता शर्तो के साथ अपनी स्वयं के प्रवेश परीक्षा तैयार करेगा, ताकि यह सुनूश्चित किया जा सके की इन श्रेणीयों के तहत अधिकांश सीटें भर जाय।

वे सभी उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करेंगे, उन्हें उन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के साथ साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा,साथ ही हे.नं.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय के श्रेणीवार जिन्हें नेट/स्लेट/ यूजीसी शिक्षक फैलो /नियमित शिक्षक / एमफिल जैसे लिखित परीक्षा से छूट दी गई है। जे.आर.एफ (नेट) उत्तीर्ण उम्मीदवारों और शिक्षक अध्येताओं को संकाय/पर्यवेक्षक के पास सीटों की उपलब्धता के अधीन विभाग की अतिरिक्त सीटों के रूप में गिना जाएगा।

5.4.2 - हे.नं.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय के खंड में वर्णित के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा साक्षात्कार / मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएंगी जहां जैसा खंड 5.4.1 मे वर्णित है। जहां उम्मीदवारों को विधिवत गठित अनुसंधान सलाहकार समिति/अध्ययन बोर्ड के समक्ष एक प्रस्तुति के माध्यम से अपने अनुसंधान हित/क्षेत्र पर चर्चा करने की आवश्यकता होती है, बशर्त वहां उम्मीदवारों के चयन के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए 70% और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए 30% का वेटेज दिया जाएगा। जबकि छूट प्राप्त श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु स्नातक स्तर पर 30% और स्नातकोत्तर स्तर पर 40% का वेटेज दिया जाएगा और बाकी 30% अन्य उम्मीदवारों की तरह साक्षात्कार / मौखिक परीक्षा के लिए दिया जाएगा।

परन्तु अंशकालिक पीएचडी में प्रवेश के लिए चयन की प्रक्रिया मूल्यांकन के उन्हीं पैरामीटरों पर आधारित होगी जिनमें इस अध्यादेश के खंड 5.1 में यथा उपबंधित छूट प्राप्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को दिया जाता है।

5.5 साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा निम्नलिखित पहलुओं पर भी विचार करेगी, अर्थात:

5.5.1 उम्मीदवार प्रस्तावित अनुसंधान के लिए दक्षता रखता है;

5.5.2 अनुसंधान कार्य उपयुक्त रूप से संस्थान/कॉलेज में किया जा सकता है;

5.5.3 अनुसंधान का प्रस्तावित क्षेत्र नए/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान कर सकता है;

5.6 विश्वविद्यालय पीएचडी पर्यवेक्षकों की एक सूची (पर्यवेक्षक का नाम, उसका पदनाम, और विभाग/स्कूल/केंद्र विष्ट करते हुए) के साथ-साथ संस्थान की वेबसाइट पर उनके अधीन भर्ती पीएचडी विद्वानों के विवरण (पंजीकृत पीएचडी शोधार्थी का नाम, उसके शोध का विषय और प्रवेश की तारीख निर्दिष्ट करना) रखेगा और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में इस सूची को अद्यतन करेगा।

6. निवास अवधि, अस्थायी निकासी, स्थानांतरण और संपरिवर्तन।

6.1. पूर्णकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम

6.1.1. एक पूर्णकालिक पीएच.डी. शोधार्थी को विश्वविद्यालय में एक निर्धारित अवधि के लिए उपस्थित होना आवश्यक होगा, जिसे आवासीय अवधि के रूप में जाना जाता है जो उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश शुल्क के भुगतान की तिथि से गिना जाने वाला न्यूनतम 03 निरंतर वर्ष होगा।

6.1.2. पीएचडी कार्यक्रम में भर्ती एक उम्मीदवार को उसकी निवास अवधि के पूरा होने के बाद ही अस्थायी निकासी के लिए अनुमति दी जा सकती है, या पूर्ववर्ती खंड में निर्धारित तीन निरंतर वर्ष। उसे कुछ विशिष्ट कारणों से कार्यक्रम से अस्थायी रूप से वापस लेने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज और स्कूल बोर्ड की सिफारिश पर कुलपति द्वारा ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है, और बाद में शोध पूरा करने के लिए वापस शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है और तीन सप्ताह के बाद थीसिस जमा कर सकता है वापसी से अगर वह सफलतापूर्वक प्री-सबमिशन प्रस्तुति से गुजर चुका है। हालांकि, किसी भी मामले में आवासीय अवधि और अस्थायी निकासी की अवधि सहित अवधि अध्यादेशों में निर्धारित पीएचडी की अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी।

6.1.3. कार्यक्रम से अस्थायी निकासी की अनुमति निम्नलिखित कारणों में से किसी एक पर दी जा सकती है;

(i) यदि उम्मीदवार लंबी बीमारी के कारण पीड़ित है, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित।

(ii) उम्मीदवार के माता-पिता/अभिभावक/पति या पत्नी की बीमारी/मृत्यु की स्थिति में ।

(iii) यदि उम्मीदवार को पेशेवर रोजगार मिल गया है।

(iv) यदि थीसिस जमा करने के लिए न्यूनतम अवधि की आवश्यकता को पूरा करने के बाद एक पूर्णकालिक प्रायोजित उम्मीदवार अपने मूल संगठन में वापस शामिल हो जाता है।

(v) कोई अन्य घटना जिसमें कुलपति आश्वस्त है कि शोध छात्र द्वारा सामना की जाने वाली स्थिति थीसिस प्रस्तुत करने के लिए इन अध्यादेशों में प्रदान की गई अधिकतम समय-सीमा से अधिक के बिना कार्यक्रम से उसकी अस्थायी निकासी की आवश्यकता है।

6.2 अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रम हेतु

6.2.1 अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रम के रूप में नामांकित उम्मीदवार को इस अध्यादेश के खंड 4 2.1 के तहत प्रावधान के अनुसार आवासीय अवधि पूरी करनी होगी।

6.3. पीएच.डी. स्कॉलर का स्थानांतरण कारण

विवाह अथवा अन्यथा किसी कारन से किसी पीएचडी महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, अनुसंधान आकड़ों को विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहाँ शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों के अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाये तथा शोध किसी मूल संस्थान / पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्त पोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान के पूर्व में किये गए शोध कार्य के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा। हालांकि, विस्तारण अवधि में हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.4. पूर्णकालिक पीएचडी से अंशकालिक पीएचडी में संपरिवर्तन

पूर्णकालिक से अंशकालिक में संपरिवर्तन केवल अध्ययन बोर्ड और स्कूल बोर्ड ऑफ स्टडीज की सिफारिश के साथ ही किया जाएंगा स्कूल बोर्ड ऐसी कोई सिफारिश करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करेगा और बैठक के कार्यवृत्त में विवरण लिखित रूप में भी दर्ज करेगा। अध्ययन बोर्ड और स्कूल बोर्ड का ऐसा कोई भी संकल्प कुलपति के अनुमोदन के पश्चात ही प्रभावी होगा। यदि कोई पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवार अंशकालिक पीएचडी उम्मीदवार में संपरिवर्तन हो जाता है, तो उसके सभी लाभों (पोस्ट-कन्वर्जन) जब्त होंगे जिसका वह पूर्णकालिक पीएचडी के रूप में हकदार था अंशकालिक पीएचडी में संपरिवर्तन के उद्देश्य से उम्मीदवार को इस अध्यादेश के खंड 3.2 में अपेक्षित पात्रता को पूरा करना होगा।

7. छुट्टी और उपस्थिति

7.1 पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवारों के लिए

7.1.1. एक पीएचडी शोधार्थी एक शैक्षणिक वर्ष में 30 दिनों की छुट्टी का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा, वह किसी भी अंतर-सेमेस्टर अवकाश, सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों के लिए हकदार नहीं होगा।

7.1.2 पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक की सिफारिश पर विभागाध्यक्ष/स्कूल/केंद्र के समन्वयक द्वारा छुट्टी दी जाएगी।

7.1.3. एक उम्मीदवार को विश्वविद्यालय के सभी कार्य दिवसों पर संबंधित विभाग/स्कूल/केंद्र में रखे जाने वाले उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, सिवाय इसके कि जब वह खंड 7.1.2 के अनुसार स्वीकृत छुट्टी पर हो।

7.1.4. एक उम्मीदवार, जो अपने पीएचडी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पाठ्यक्रम का काम कर रहा है। तथापि, विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ठोस कारणों से संबंधित संकाय के डीन द्वारा अधिकतम 25% उपस्थिति को माफ कर दिया जाए।

7.1.5. खंड 7. 1.1 में यथा उपबंधित अवकाश के अतिरिक्त अपवादिक परिस्थितियों में और चिकित्सा आधार पर पीएचडी अध्येता को उसके पीएचडी पाठ्यक्रम की कुल अवधि के दौरान अधिकतम 45 दिनों की अवधि के लिए छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है।

7.1.6 किसी भी अप्राधिकृत अनुपस्थिति को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आधार के रूप में माना जाएगा जैसे कि प्रवेश / पंजीकरण रद्द करना।

7.2. अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रम हेतु

7.2.1 अंशकालिक पीएचडी शोधार्थी इस अध्यादेश के खंड 4.1.1 में प्रदान की गई आवासीय अवधि की आवश्यकता को पूरा करते हुए कुल 30 दिनों की छुट्टी का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा।

7.2.2 पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक की सिफारिश पर विभागाध्यक्ष/स्कूल/केंद्र के समन्वयक द्वारा छुट्टी दी जाएगी।

7.2.3 एक उम्मीदवार को संबंधित विभाग/स्कूल/केंद्र में रखे जाने वाले उपस्थिति रजिस्टर में विश्वविद्यालय के सभी कार्य दिवसों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, सिवाय इसके कि जब वह खंड 7.2.1 के तहत आवश्यकता के अनुपालन में खंड 7.2.2 के अनुसार स्वीकृत छुट्टी पर हो।

7.2.4. एक उम्मीदवार जो अपने पीएचडी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पाठ्यक्रम का काम कर रहा है, उससे प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूर्ण (100%) उपस्थिति की उम्मीद है।

8. शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण - शोध पर्यवेक्षक, सह-पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक के लिए अनुमय पीएचडी शोधार्थियों की संख्या, आदि।

8.1. उच्चतर शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थायी संकाय सदस्य जिन्होने पीएच.डी. प्राप्त करने के साथ पीयर-रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम पांच शोध प्रकाशित किए हैं और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थायी संकाय सदस्य जो पीएच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिसके द्वारा पीयर-रिव्यू या संदर्भि त पत्रिकाओं में कम से कम तीन शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों उन्हें विश्वविद्यालय अथवा इसके संबद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों /संस्थानों में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दीजा सकती है जहां वे कार्यरत है। ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक अन्य संस्थानों में शोधार्थियों के पर्यवेक्षक नहीं हों सकते हैं, पर वहां वे केवल सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर पीएच.डी. की एक उपाधि एक विश्वविद्यालय द्वारा एक ऐसे संकाय सदस्य की देखरेख में प्रदान की जाती है जो उस विश्वविद्यालय या उसके संबद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/संस्थानों का कर्मचारी नहीं है, तो इसे इन विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत पीएच.डी. शोधार्थी जिनकी डिग्री उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाती है, ऐसे शोध संस्थानों के वैज्ञानिक जो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के समकक्ष हैं, उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वे उपरोक्त आवश्यक मापदंड को पूरा करते हैं।

बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विषयों में जहां कोई पीयर-रिव्यू या संदर्भि त पत्रिकाएँ नहीं है, या केवल सीमित संख्या में हैं, संस्थान संबंधित बोर्ड ऑफ स्टडीज और स्कूल बोर्ड द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के साथ शोध पर्यवेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की मान्यता के लिए उपरोक्त शर्त में छूट दे सकता है ।

कोई पर्यवेक्षक उम्मीदवार का रिश्तेदार नहीं होगा (जैसा कि 2013 के कंपनी अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है)

8.2. विश्वविद्यालय / केंद्र का केवल पूर्णकालिक नियमित शिक्षक पर्यवेक्षक होंगे। बाहरी पर्यवेक्षकों की अनुमति नहीं है। तथापि, सह-पर्यवेक्षक को शोध सलाहकार समिति/अध्ययन बोर्ड के अनुमोदन से उसी संस्थान के अन्य विभागों अथवा अन्य संबंधित संस्थाओं से विश्वविद्यालय में अंतर-विषयक के रूप में अनुमति दी जा सकती है।

8.3. चयनित शोध अध्येता के लिए अनुसंधान पर्यवेक्षक के आबंटन का निर्णय संबंधित विभाग द्वारा प्रति अनुसंधान पर्यवेक्षक विद्वानों की संख्या, पर्यवेक्षकों के बीच उपलब्ध विशेषज्ञता और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के समय उनके द्वारा यथा निदिष्ट विद्वानों के अनुसंधान हितों के आधार पर किया जाएगा।

8.4. ऐसे विषयों के मामले में जो अंतर-अनुशासनात्मक प्रकृति के हैं, जहां संबंधित विभाग यह महसूस करता है कि विभाग में विशेषज्ञता को विभाग के बाहर से पूरक किया जाना है, विभाग से ही एक शोध पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकता है। जिन्हें शोध पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाएगा, और विभाग/संस्थान के बाहर से ऐसे नियमों और शर्तों पर सह-पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाएगा, जो सहमति देने वाले संस्थानों/कॉलेजों द्वारा निर्दिष्ट और सहमत हों।

8.5. शोध पर्यवेक्षक / सह-पर्यवेक्षक जो प्रोफेसर है, किसी भी समय एक निश्चित समय पर, आठ (8) पीएचडी शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। एक एसोसिएट प्रोफेसर रिसर्च सुपरवाइजर अधिकतम छह (6) पीएचडी शोधार्थियों तक मार्गदर्शन कर सकता है और शोध पर्यवेक्षक के रूप में एक सहायक प्रोफेसर एक समय में अधिकतम चार (4) पीएचडी शोधार्थियों तक मार्गदर्शन कर सकता है।

परन्तु किसी शोध पर्यवेक्षक के अधीन पीएचडी करने वाले पीएचडी शोधार्थियों की संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए एक अंशकालिक और पूर्णकालिक पीएचडी शोधार्थी की गणना की जाएगी।

8.6. केंद्र (स्टेशन) से पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति के मामले में, छुट्टी पर या अन्यथा, एक वर्ष से अधिक समय तक, अध्ययन बोर्ड, स्कूल बोर्ड के स्थायी निर्देशों के अनुसार, संबंधित शैक्षणिक इकाई के किसी अन्य ऐसे पर्यवेक्षक को नियुक्त कर सकता है जिसे उम्मीदवार के शोध संबंधित क्षेत्र का ज्ञान है, ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए उम्मीदवार के अस्थायी पर्यवेक्षक के रूप में बशर्ते कि वह उपरोक्त 1 खंड 8.1 और 8.2 के तहत पर्यवेक्षक होने के योग्य हो।

बशर्ते कि जहां पर्यवेक्षक अपने असाइनमेंट को इस तरह छोड़ देता है, या स्थायी रूप से क्षेत्र छोड़ देता है या अन्यथा अब अनापत्ति प्रमाण पत्र के उत्पादन पर उम्मीदवारों की निगरानी करने की स्थिति में नहीं है (पर्यवेक्षक की मृत्यु के मामले को छोड़कर) अध्ययन बोर्ड उक्त पर्यवेक्षक के साथ नामांकित उम्मीदवारों के संबंध में, विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष के माध्यम से स्कूल बोर्ड को ऐसे अन्य व्यक्तियों के नाम की सिफारिश करें जो पर्यवेक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए पात्र हैं या ऐसे उम्मीदवारों के नए पर्यवेक्षक हैं, ऊपर खंड 8.5 में निर्दिष्ट नामांकन सीमाओं को पार किए बिना। 8.7. सेवानिवृत्ति से पूर्व तीन साल से कम सेवा वाले संकाय सदस्यों को उनकी देखरेख में नए शोधार्थियों को लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, ऐसे संकाय सदस्य पीएचडी अध्येताओं का पर्यवेक्षण करना जारी रख सकते हैं जो अधिवर्षिता तक और अधिवर्षिता के बाद सह-पर्यवेक्षक के रूप में पहले से पंजीकृत हैं, लेकिन 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नहीं।

9. कोर्स वर्क: क्रेडिट आवश्यकताएं, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम, पूरा करने के लिए न्यूनतम मानदण्ड, आदि (अंशकालिक और पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवारों के लिए लागू)

9.1. पीएचडी कोर्स वर्क के लिए कम से कम 12 क्रेडिट और अधिकतम 16 क्रेडिट की आवश्यकता होगी।

पाठ्यक्रम की संरचना निम्नानुसार होगी: (कुल 15 क्रेडिट),

- कोर कोर्स 1 (04 क्रेडिट), अनुसंधान क्रियाविधि।
- कोर कोर्स 2 (03 क्रेडिट)
- (ए) अनुसंधान और प्रकाशन नैतिकता (02 क्रेडिट)
- (बी) संबंधित बीओएस द्वारा तय की जाने वाली सामग्री (01 क्रेडिट)

संबंधित बीओएस द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रत्येक 04 क्रेडिट (कुल 08 क्रेडिट) के अनुसार दो वैकल्पिक पाठ्यक्रम।

9.2. पाठ्यक्रम के काम को पीएचडी की तैयारी के लिए पूर्व शर्त के रूप में माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या अधिक पाठ्यक्रमों को न्यूनतम क्रेडिट सौंपा जाएगा जो मात्रात्मक तरीकों, कंप्यूटर अनुप्रयोगों, अनुसंधान नैतिकता और संबंधित क्षेत्र प्रशिक्षण, फील्डवर्क आदि में प्रकाशित अनुसंधान की समीक्षा जैसे क्षेत्रों को शामिल (कवर) कर सकता है। अन्य पाठ्यक्रम पीएचडी डिग्री के लिए छात्रों को तैयार करने वाले उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे।

9.3. पीएचडी कोर्सवर्क के लिए निर्धारित सभी पाठ्यक्रम क्रेडिट घंटे की अनुदेशात्मक आवश्यकता और सामग्री के अनुरूप होंगे, और निर्देशात्मक/ मूल्यांकन विधियों को निर्दिष्ट करेंगे। उन्हें अधिकृत शैक्षणिक निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

9.4. विभाग का शोधार्थी जहां अपने शोध का अनुसरण करता है वहां उप-खंड 9.1 के तहत निर्धारित अध्ययन बोर्ड और स्कूल बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर उसे पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को निर्धारित करेगा।

9.5. पीएचडी कार्यक्रम में अध्यनरत उम्मीदवारों को प्रारम्भ में एक या दो सेमेस्टर के दौरान विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता होगी।

9.6. हे.नं.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय के एम.फिल डिग्री धारक एवं जिनके द्वारा पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश लिया गया है, या जिन्होंने पहले ही एम.फिल में कोर्स वर्क (पाठ्यक्रम) का काम पूरा कर लिया है, उन्हें पीएचडी कोर्स वर्क (पाठ्यक्रम) के काम से संबंधित बोर्ड ऑफ स्टडीज और स्कूल बोर्ड द्वारा छूट दी जा सकती है। पीएचडी कार्यक्रम में भर्ती अन्य सभी उम्मीदवारों को विभाग द्वारा निर्धारित पीएचडी कोर्सवर्क पूरा करना होगा।

9.7. शोध पद्धति पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम कार्य में ग्रेड /अंक विभाग द्वारा अंतिम रूप से दिए जाएंगे और अंतिम ग्रेडों की सूचना परीक्षा नियंत्रक द्वारा संस्थान /कॉलेज को दी जाएगी।

9.8. पीएचडी शोधार्थी को न्यूनतम 55% अंक या इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा व कार्यक्रम के जारी रखने के लिए पात्र होने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम कार्य में समकक्ष ग्रेड /सीजीपीए के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 10 सूत्री वेतनमान में बी+, जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है, प्वाइंट स्केल में 10 प्वाइंट स्केल प्राप्त करने होंगे ।

विद्या (शैक्षिक) परिषद संबंधित अध्ययन बोर्ड और स्कूल बोर्ड की सिफारिशों पर समय-समय पर पाठ्यक्रम कार्य में संशोधन करने के लिए प्राधिकृत है, तथापि, इसका भावी प्रभाव होगा।

10. परीक्षा और शोध मूल्यांकन (अंशकालिक और पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवारों के लिए लागू)

1. मूल्यांकन निरंतर आधार पर किया जाएगा। एकरूपता के उद्देश्य से, दो सत्र परीक्षण और एक इंड -सेमेस्टर परीक्षा होगी सत्र परीक्षण (एक घंटे की अवधि के) पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त उद्देश्य परीक्षण, असाइनमेंट, पेपर प्रस्तुति प्रयोगशाला कार्य आदि जैसे एक या अधिक मूल्यांकन उपकरण नियोजित कर सकते हैं।

2. छात्र अनिवार्य रूप से दो सत्र के परीक्षा में भाग लेंगे। जिसमें असफल होने पर उन्हें अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन छात्रों के मामले में जो चिकित्सा कारण या असाधारण परिस्थितियों में किसी भी सत्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं से पहले एक अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की अनुमति से होगा।

3. सत्र परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम कुल अंकों का 40% होगा। ग्रेड की गणना के लिए दो सत्रीय परीक्षाओं के अंकों पर विचार किया जाएगा केवल सेमेस्टर के अंत में पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पूरे पाठ्यक्रम को ग्रहण (कवर) करते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 60% अंकों के साथ 2 घंटे की अवधि की एक अंतिम सेमेस्टर परीक्षा होगी अंतिम सेमेस्टर परीक्षा और मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा।

4. 75% से कम उपस्थिति वाले उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तथापि , यह संकायाध्यक्ष के पास एक उम्मीदवार को छूट देने के लिए निर्धारित शुल्कों के भुगतान पर विकल्प होगा जो वैध कारणों से निर्धारित 75% उपस्थिति प्राप्त करने में विफल रहा है । और इस तरह की छूट किसी भी परिस्थिति में 65% से कम उपस्थिति के लिए नहीं दी जाएगी।

5. संकायाध्यक्ष ,विभागाध्यक्ष के माध्यम से उन सभी छात्रों के नामों की घोषणा करेगा जो परीक्षा देने के लिए पात्र नहीं होंगे और इसकी एक प्रति कुलसचिव (रजिस्ट्रार) और परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित करेंगे।

11. कोर्स-वर्क के अंक और ग्रेडिंग

1. उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक और प्रत्येक पेपर / पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत अंक (दो सत्रीय टेस्ट अंक और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा अंक) सुरक्षित करने होंगे। उम्मीदवार जिसने कुल मिलाकर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक और

प्रत्येक पेपर / पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत अंक हासिल नहीं किए हैं, उन्हें असफल माना जाएगा। एक असफल छात्र को प्रारंभिक दो सेमेस्टर अवधि में अधिकतम दो बार सेमेस्टर परीक्षाओं को दोहराने की अनुमति दी जाएगी और उसे पीएचडी में जारी रखने के लिए प्री-पीएचडी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना होगा। विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोर्स वर्क पाठ्यक्रम परीक्षाओं में असफल होने वाले छात्रों के लिए उक्त परीक्षाएं व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से आयोजित की जाएंगी। परिणाम घोषित करने के लिए छात्रों द्वारा प्राप्त सत्र के अंकों को शामिल किया जाएगा।

 पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत एक ग्रेड बिंदु और एक लेटर ग्रेड द्वारा इंगित किया जाएगा। छात्र के निष्पादन (परफॉरमेंस) के मूल्यांकन के लिए छह (06) बिंदु पैमाने का उपयोग किया जाएगा जैसा कि नीचे दिया गया है-

अंक	ग्रेड प्वाइंट	लैटर श्रेणीकरण
75-100	5.50-6.00	0
65-74	4.50-5.49	A+
60-64	4.00-4.49	А
55-59	3.50-3.99	B+
50-54	3.00-3.49	В
नीचे 50%	0.00 -2.99	F

3. मूल्यांकन की प्रणाली पारदर्शी होगी और छात्रों को अपनी चिह्नित उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने का अधिकार होगा। पाठ्यक्रम के शिक्षक विभाग के प्रमुख को सेशनल टेस्ट I और सेशनल टेस्ट II के लिए उपस्थिति और प्रदर्शन पत्रक देंगे, जो बदले में ऐसी सभी शीटों को समेकित करेगा और यह संकायाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक छात्रों को अंक पत्र और ग्रेड स्टेटमेंट जारी करेगा।

12. कोर्स वर्क के दौरान

1. उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ पर्यवेक्षक के परामर्श से उसके द्वारा तैयार किए गए संक्षिप्त सारांश की 03 प्रतियां जमा करेंगा , जिन्हें विभाग के प्रमुख द्वारा अध्ययन बोर्ड को अग्रेषित किया जाएगा बशर्ते कि उक्त सारांश आमतौर पर 3000 शब्दों से अधिक नहीं होगा और अनुसंधान के प्रस्तावित विषय पर साहित्य और ज्ञान की वर्तमान स्थिति की समीक्षा प्रस्तुत करेगा, उद्देश्यों, परिकल्पना (जहां भी आवश्यक हो) और स्रोतों सहित अनुसंधान की योजना, और जांच में नियोजित की जाने वाली कार्यप्रणाली और ऐसी अन्य जानकारी जो उस संबंध में प्रासंगिक हो सकती है।

2. अध्ययन बोर्ड इस अध्यादेश और विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में सूची, आवेदनों और सारांश की जांच करेगा, ऐसे आवेदकों को अध्ययन बोर्ड के समक्ष अपने विषय और सारांश के बारे में एक प्रस्तुति देने के लिए कहा जाएगा। अध्ययन बोर्ड (बीओएस) ऐसे आवेदकों को प्रवेश प्रदान करेगा जो अपने निर्णीत (जजमेन्ट) में हैं, पंजीकरण के लिए उपयुक्त, और प्रत्येक दाखिल उम्मीदवार के शोध विषयों को भी अंतिम रूप दें। अध्ययन बोर्ड (बीओएस) की सिफारिशें स्कूल बोर्ड के माध्यम से कुलपति को हस्तांतरण की जाएंगी और इस बाबत सूचना अकादमिक परिषद को भी प्रेषण होगी।

3. एक उम्मीदवार को प्रवेश देने के कुलपति के निर्णय को आगे बढ़ाने में, कुलसचिव (रजिस्ट्रार) उसे प्रवेश पत्र जारी करेगा, जिसमें उसके पर्यवेक्षक का नाम, उसके शोध का विषय, शैक्षणिक इकाई जहां उसे नामांकित किया जाएगा और इसके लिए एक महीने से अधिक की अवधि निर्दिष्ट नहीं की जाएगी। इस अवधि के मध्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करने और अन्य अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पीएचडी कार्यक्रम के लिए स्वतः को नामांकित करना आवश्यक है।

बशर्ते कि जहां उम्मीदवार उक्त अवधि के भीतर खुद को नामांकित करवाता है, उसका **नामांकन प्री-पीएचडी के लिए प्रवेश लेने (फीस जमा करने)** की तारीख से प्रभावी होगा।

4. शुल्क एवं अन्य बकाया की अनुसूची, थीसिस और मौखिक परीक्षा की परीक्षा शुल्क सहित, जिसे उम्मीदवारों से चार्ज किया जाना है, और उसके भुगतान के तरीके, समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा, कार्यकारी परिषद द्वारा अकादमिक परिषद की सिफारिश पर, निर्दिष्ट समय के भीतर इस तरह के शुल्क एवं अन्य बकाया राशि का भुगतान करने में विफलता के परिणामों के संबंध में प्रावधान उद्देश्य, और उम्मीदवार के प्रवेश की निरंतरता या समाप्ति के लिए अन्य शर्तों को विनियमों द्वारा अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

5. उम्मीदवार विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान में अध्ययन या पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम के किसी भी अन्य डिग्री देने वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश सुरक्षित करने या अपने पहले के प्रवेश को जारी रखने का हकदार नहीं होगा , ऐसा होने पर पीएचडी कार्यक्रम में उसका प्रवेश समाप्त माना जाएगा, अगर किसी भी स्तर पर वह इसका उल्लंघन के योग्य पाया जाता है।

6. उम्मीदवारों को सम्पूर्ण कार्यक्रम के दौरान किसी भी संस्थान / संगठन में सेवा करने के लिए हकदार या अनुमति प्रदान नहीं होगी। यदि ऐसा पाया जाता है, तो पीएचडी कार्यक्रम में उसका प्रवेश जिस भी स्तर पर हों समाप्त हो जाएगा, हालांकि, बोर्ड ऑफ स्टडीज और स्कूल बोर्ड की सिफारिश पर और कुलपति द्वारा अनुमोदन के बाद अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रम में नामांकित उम्मीदवारों के लिए इस शर्त में ढील दी जा सकती है।

7. विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या किसी अन्य राष्ट्रीय / अन्तरराष्ट्रीय, वित्त पोषण एजेंसी, या किसी अन्य अनुसंधान फैलोशिप या छात्रवृत्ति द्वारा प्रदान की गई फैलोशिप पाने वाले उम्मीदवार को अकादमिक परिषद / कुलपति / संबंधित वित्त पोषण एजेंसी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित शैक्षणिक इकाई के शिक्षण और अन्य शैक्षणिक कार्यों में सहयोग करने की आवश्यकता हो सकती है।

13. शोध सलाहकार समिति (आरएसी) और बोर्ड ऑफ स्टडीज (बीओएस) की भूमिका और उसके कार्य –

13.1 प्रत्येक पीएचडी छात्र के लिए एक शोध सलाहकार समिति (आरएसी/बीओएस) या समकक्ष निकाय, जैसा कि संबंधित संस्थान के कानूनों / अध्यादेशों में परिभाषित किया गया है। पीएचडी शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक आरएसी का संयोजक होगा और संबंधित बीओएस के अध्यक्ष शोध सलाहकार समिति (आरएसी) के अध्यक्ष होंगे और इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे:

13.1.1. शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना और शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना।

13.1.2. शोधार्थी को अध्ययन ढाँचे तथा शोध पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रम (ओं) की पहचान कराना।

13.1.3. पीएच.डी. शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति की आवधिक समीक्षा और प्रगति में सहायता करना।

13.2. एक अंशकालिक और पूर्णकालिक शोध शोधार्थी मूल्यांकन और अग्रिम मार्गदर्शन के लिए अपने काम की प्रगति की प्रस्तुति देने के लिए छह माह में एक बार आरएसी/बीओएस के समक्ष उपस्थित होगा। छमाही प्रगति रिपोर्ट उम्मीदवार द्वारा आरएसी / बीओएस को एक प्रति के साथ संस्थान / विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जाएगी यदि वे लगातार दो छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उम्मीदवारी स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगी।

13.3. यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक है तो आरएसी/बीओएस इसके कारणों को रिकार्ड करेंगे और सुधारात्मक उपाय सुझाएंगे यदि शोधार्थी इन सुधारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल रहता है तो आरएसी/बीओएस शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारणों के साथ विश्वविद्यालय को सिफारिश कर सकते हैं।

14. उपाधि प्रदान करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां न्यूनतम मानदण्ड / क्रेडिट, आदि –

14.1. पाठ्यक्रम के संतोषजनक ढंग से पूरा करने और उपरोक्त विहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर, जैसा भी मामला है, पीएचडी शोधार्थी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इन विनियमों के आधार पर संबंधित संस्थान द्वारा यथा निर्धारित उचित समय के अंतर्गत शोध कार्य करे और थीसिस का मसौदा तैयार करें।

14.2. थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व, शोधार्थी संबंधित संस्था के बीओएस के समक्ष विभाग में एक प्रस्तुति देगा जो सभी संकाय सदस्यों और अन्य शोधार्थी के लिए भी खुला होगा। यदि बीओएस उम्मीदवार के प्री-सबमिशन सेमिनार से संतुष्ट है, तो बीओएस के संयोजक प्री-सबमिशन सेमिनार (अनुबंध-जी) के संतोषजनक ढंग के बारे में एक प्रमाण पत्र के साथ थीसिस प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के आवेदन को अग्रेषित करेंगे।

14.3. पीएचडी शोधार्थी को यूसीसी केयर लिस्टेड/पीयर-रिव्यूड/रेफरीड जर्नल में कम से कम एक (एल) शोध पत्र प्रकाशित करना चाहिए और निर्णय के लिए थीसिस प्रस्तुत करने से पहले सम्मेलनों/सेमिनारों में दो पेपर प्रस्तुतियां देनी चाहिए। इसके अलावा, प्री-थीसिस प्रस्तुति के समय, शोधार्थी (डीएआईपी) विभाग अकादमिक अखंडता पैनल के सामने साहित्यिक चोरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में अकादमिक अखंडता और साहित्यिक चोरी की रोकथाम) विनियमों के प्रावधान, 2018 इस संबंध में अकादमिक परिषद लागू होगा।

14.4. विश्वविद्यालय की विद्या (अकादमिक) परिषद साहित्यिक चोरी और अकादमिक बेईमानी के अन्य रूपों का पता लगाने के लिए सुविकसित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का उपयोग करने वाला एक तंत्र का होना आवश्यक है। पीएच.डी. शोधार्थी मूल्यांकन हेतु शोध प्रबंध /थीसिस प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ शोधार्थी से एक वचनवद्धता प्रदान करना होगा जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की कोई साहित्यिक चोरी नहीं हुई है और शोध पर्यवेक्षक द्वारा शोध प्रबंध/थीसिस की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि यह शोध प्रबंध किसी अन्य शिक्षण संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा के पाठ्यक्रम करने के लिए थीसिस जमा नहीं किया गया है।

14.5. उम्मीदवार को अपने प्री-सबमिशन सेमिनार की तारीख से तीन महीने के अंतर्गत थीसिस प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी (थीसिस जमा करने के लिए अधिकतम समय सीमा के अधीन), जिसमें विफल होने पर उसे एक नया प्री-सबमिशन सेमिनार देने की आवश्यकता होगी। उम्मीदवार विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत अग्रेषित किया गया थीसिस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अनुभाग को प्रस्तुत करेगा। थीसिस जमा करते समय उम्मीदवार निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा –

i. थीसिस के सारांश और सारांश की एक (01) हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी (गैर -संपादन योग्य प्रारूप) ।

ii. थीसिस की एक (01) हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी (गैर-संपादन योग्य प्रारूप) ।

iii. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत थीसिस में अनिवार्य रूप से शामिल होंगे:

- क) संलग्नक ए में दिए गए प्रारूप के अनुसार थीसिस का बाह्य आवरण।
- ख) संलग्नक -बी में दिए गए प्रारूप के अनुसार थीसिस का आंतरिक आवरण।
- ग) संलग्नक सी में दिए गए प्रारूप के अनुसार उम्मीदवार द्वारा घोषणा।
- घ) संलग्नक- डी में दिए गए प्रारूप के अनुसार पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाण पत्र।

- ङ) संलग्नक ई में दिए गए प्रारूप के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा साहित्यिक चोरी प्रमाण पत्र।
- च) संलग्नक एफ में दिए गए प्रारूप के अनुसार कॉपीराइट हस्तांतरण प्रमाण पत्र ।

14.6. पीएचडी शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन तीन बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ हो और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के नियोजित नहीं हैं। ऐसे परीक्षक (ओं) संबंधित विषय क्षेत्र में विद्वतापूर्ण प्रकाशन की सुकीर्ति प्राप्त हो। यथासंभव , बाह्य परीक्षकों में से एक को भारत के बाहर से चुना जाना चाहिए मौखिक परीक्षा बोर्ड में शोध पर्यवेक्षक और तीन बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक शामिल होगा और यह ऑनलाइन आयोजित किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण/संकाय सदस्यगण/शोधार्थी अन्य शोधार्थियों तथा छात्र भाग ले सकते है।

14.7. थीसिस की रक्षा के लिए शोध शोधार्थी की मौखिक परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी जब थीसिस पर सभी बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो और मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए एक विशिष्ट सिफारिश शामिल हो यदि बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट में से एक असंतोषजनक है और मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं करता है, तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय थीसिस को अनुमोदित पैनल से वैकल्पिक बाह्य परीक्षक को भेजेगा (ख) यदि वैकल्पिक परीक्षक का अनुबंध/संलग्नक एच (H) संतोषजनक हो तो परीक्षकों की कुल संख्या और मौखिक परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी। यदि वैकल्पिक परीक्षक थीसिस की स्वीकृति की सिफारिश नहीं करता है, तो थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा, और पीएचडी शोधार्थी को पीएचडी के पुरस्कार के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

14.8. हे.नं.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद थीसिस जमा करने की तिथि से छह माह की अवधि के अंतर्गत अधिमानतः पीएचडी थीसिस के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपयुक्त तरीके विकसित करेगी।

14.9. सभी संबंधित दस्तावेज व उपर्युक्त दस्तावेजों की एक (01) हार्ड कॉपी ताकि इन्हें थीसिस के मूल्यांकन के लिए परीक्षकों को ऑनलाइन/ऑफलाइन भेजा जा सके।

15. दूरस्थ माध्यम से पीएचडी का निरूपण ।

15.1. वर्तमान में लागू इन विनियमों अथवा किसी अन्य कानून में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बावजूद, भी हे.नं.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय दूरस्थ और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पीएच.डी.पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा।

15.2. अंशकालिक पीएचडी की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि इस अध्यादेश में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ण हो।

16. इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व एम फिल /पीएचडी उपाधि प्रदान करना-

इन विनियमों के अधिनियमन से पहले शुरू होने वाले एम.फिल उपाधि कार्यक्रम इन विनियमों की किसी भी बात से अप्रभावित रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच.डी पाठ्यक्रमों के लिए 11 जुलाई, 2009 को अथवा उसके प्श्चात, इन विनियमों की अधिसूचना तक पंजीकृत हुए थे, ऐसे अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान किया जाना, यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016, जैसा भी मामला हो इसके अलावा) पहले से पंजीकृत एवं पीएच.डी. कर रहे उम्मीदवारों को उपाधि प्रदान करने के लिए इन विनियमों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2016 के प्रावधानो द्वारा शासित होंगे। इन विनियमों के अधिनियमन से पहले प्रारंभ एम.फिल उपाधि कार्यक्रम का इन विनियमों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

17. इनफ्लिबनेट के साथ डिपॉजिटरी –

17.1. पीएचडी उपाधि (यों) को अवार्ड करने हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया के सफल समापन के पश्चात तथा पीएचडी उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व विश्वविद्यालय की शोध प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक प्रति इनफ्लिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि इसे सभी संस्थानों/कॉलेजों के लिए सुलभ बनाया जा सके ।

17.2. उपाधि के वास्तविक प्रदान करने से पहले, विश्वविद्यालय इस आशय का एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा कि उपाधि इन यूजीसी विनियमों 2022 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई है ।

> डॉ. राकेश कुमार ढोडी, कुलसचिव [विज्ञापन-III/4/असा./34/2025-26]

अनुलग्नक – А

अत्वा ज्योति रशीमार्ग अस्य मध्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस
विद्या वाचस्पति (पीएच.डी) शोध प्रबंध का शीर्षक
विद्या वाचस्पति (पीएच.डी.) शोध प्रबंध
शोध प्रबंध का शीर्षक - द्वारा
(पीएचडी छात्र का नाम)- (नामांकन और पीएचडी पंजीकरण संख्या) - (विभाग का नाम)
पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षकों (यदि कोई हो) के पदनाम के साथ नाम के पर्यवेक्षण के तहत-
शोधार्थी का नाम – हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल (उत्तराखंड)
<i>(</i> (जमा करने का माह और वर्ष) वर्ष

अनुलग्नक- B विद्या वाचस्पति (पीएच.डी) शोध प्रबंध का शीर्षक

शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय



के अवार्ड के लिए आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति में

में विद्या वाचस्पति (पीएच.डी) की डिग्री (विषय) पर्यवेक्षक की देखरेख में

> (शोधार्थी का विवरण)

(पर्यवेक्षक का विवरण)

...... (विभाग का नाम) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, उत्तराखंड

अनुलग्नक- सी

<u> शोधार्थी द्वारा घोषणा</u>

मैंहेमवती नंदन बहुगुणा करता / करती हूं कि मेरा शोध प्रबंध जिसका शीर्षकहेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड के विभाग को प्रस्तुत किया गया है, विद्या वाचस्पति (पीएच.डी) की डिग्री प्रदान करने की आवश्यकता की आंशिक पूर्ति में पहले से डिग्री, डिप्लोमा, एसोसिएटशिप, फेलोशिप या अन्य समान उपाधियों या मान्यता प्रदान करने का आधार नहीं बना है। मैं आगे घोषणा करता/ती हूँ कि मैंने विश्वविद्यालय के पीएच.डी. अध्यादेश की आवश्यकताओं (आवश्यक आवश्यकताओं से संबंधित अध्यादेश के खंड) को पूरा कर लिया है, जिसका विवरण थीसिस में संलग्न है। साहित्यिक चोरी परीक्षण से यह पाया गया कि संपूर्ण थीसिसका समानता सूचकांक यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में साहित्यिक चोरी की रोकथाम एवं शैक्षणिक अखंडता को बढ़ावा देना) विनियमन, 2018 द्वारा निर्धारित 10% की सीमा के अंतर्गत है ।

तिथि:

स्थान:

(हस्ताक्षर और शोधार्थी का नाम)

17

अनुलग्नक - डी

पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाण पत्र

<u>प्रमाणपत्र</u>

यह प्रमाणित करना है कि थीसिस का शीर्षक "...... " द्वारा प्रस्तुत शोधार्थी का नाम पंजीकरण संख्या: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड को विद्या वाचस्पति (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी) (पीएचडी) की डिग्री प्रदान करने की आवश्यकता को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए मेरे मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत थीसिस प्रस्तुत की है। यह शोध प्रबंध डिग्री की प्रकृति से संबंधित नियमों और विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त है।

तिथि:

पर्यवेक्षक का नाम -

स्थान:

पद –

अनुलग्नक- ई

पंजीकरण संख्या:

साहित्यिक चोरी सत्यापन प्रमाणपत्र -

पंजीकरण संख्या:

शोधार्थी का नाम:

2. पाठ्यक्रम

3. थीसिस का शीर्षक।

4. विभाग

5. विद्यापीठ

6. पर्यवेक्षक का नाम:

7 सह-पर्यवेक्षक का नाम।

यदि कोई हो, तो इस शोध प्रबंध को नामित व्यक्ति/लाइब्रेरियन द्वारा समानता सूचकांक के लिए जांचा गया है। समानता परीक्षण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है।

सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया	दिनांकित	
कुल शब्द गणना	समानता सूचकांक	
लेख आई डी		

इस थीसिस की साहित्यिक चोरी रिपोर्ट की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गई है और समानता सूचकांक यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में अकादमिक अखंडता और साहित्यिक चोरी की रोकथाम) विनियमन, 2018 के अंतर्गत है। इस थीसिस को प्रस्तुत करने के लिए विचार किया जा सकता है। समानता जांच रिपोर्ट टर्निटिन/उरकुंड सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार की गई है इसके साथ संलग्न है।

पदनामित प्राधिकारी – (पुस्तकालयधयक्ष)

19

अनुलग्नक- एफ़

<u>कॉपीराइट स्थानांतरण प्रमाणपत्र</u>

थीसिस का शीर्षक:

उम्मीदवार का नाम:

पंजीकरण संख्या:

<u>कॉपीराइट स्थानांतरण</u>

नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड को पीएच.डी. की उपाधि प्रदान करने के लिए प्रस्तुत उपरोक्त शोध प्रबंध के लिए कॉपीराइट के अंतर्गत सभी अधिकार सौंपे जाते हैं।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

नोट: हालांकि लेखक अपने निजी उपयोग के लिए थीसिस से निकाली गई सामग्री को शब्दशः पुनरुत्पादित कर सकता है या दूसरों को पुनरुत्पादित करने के लिए अधिकृत कर सकता है बशर्ते स्रोत और विश्वविद्यालय की कॉपीराइट सूचना का उल्लेख किया गया हो।

अनुलग्नक- जी

<u>पूर्व प्रस्तुत संगोष्ठी समापन प्रमाणपत्र</u>

यह प्रमाणित किया है: -

(घ) अभ्यर्थी ने थीसिस कार्य का संतोषजनक वर्णन किया है तथा विषय और थीसिस कार्य की बुनियादी समझ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक ढंग से दिए हैं।

(ई) अध्ययन बोर्ड ने कार्य /प्रदर्शन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव दिए (यदि लागू हो)।

तारीख:

जगह:

(बी.ओ. एस. के संयोजक / प्रमुख के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक- एच

एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय

पीएचडी डिग्री के लिए उम्मीदवार की थीसिस के परीक्षक की रिपोर्ट

1. अभ्यर्थी का नाम.....

2. विभाग..... के स्कूल के अंतर्गत

3.अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत थीसिस का शीर्षक:

भाग -I

मैंने ऊपर वर्णित विषय पर उपर्युक्त उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के लिए थीसिस की जांच की है और रिपोर्ट करना है:

(ए) कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत थीसिस.....

(I) क्या यह शोध कार्य तथ्यों की खोज या तथ्यों या सिद्धांतों की व्याख्या के प्रति एक नए दृष्टिकोण की विशेषता वाला है;

(II) यह अभ्यर्थी की आलोचनात्मक जांच और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है।

(III) जहाँ तक इसकी साहित्यिक प्रस्तुति का प्रश्न हैए यह संतोषजनक है तथा

(IV) एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के लिए अनुमोदित थीसिस के रूप में प्रकाशन हेतु उपयुक्त है।

(बी) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत थीसिस संशोधित रूप में पुनः प्रस्तुत किये जाने योग्य है।

(सी) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत थीसिस बिना किसी अतिरिक्त मूल्यांकन के अस्वीकृत किये जाने योग्य है।

भाग -ll

परीक्षकों की विस्तृत रिपोर्ट अलग से संलग्न की जाए।

भाग -III

मेरी अनुशंसित है-

(क) यह कि थीसिस डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के लिए अनुमोदित की जाए

या

(ख) अभ्यर्थी को अपने शोध प्रबंध को संशोधित रूप में निर्धारित अवधि के भीतर पुनः प्रस्तुत करना होगा तथा उसके शोध प्रबंध में संशोधन की संस्तुति की गई है।

या

(ग) थीसिस को बिना किसी अतिरिक्त मूल्यांकन के अस्वीकार कर दिया जाए तथा अभ्यर्थी को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्रदान न की जाए।

> थीसिस के परीक्षक के हस्ताक्षर नाम (.....)

1. पता.....

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY, UTTARAKHAND

(A CENTRAL UNIVERSITY)

NOTIFICATION

Srinagar, (Garhwal), the 21st March, 2025

NOTIFICATION

Letter: H.N.B.G.U./Academic/2025/114.—The following is published for general information.—

Ordinance No. 27

ORDINANCES FOR AWARD OF

THE DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAMMES (Ph. D.)

(Under section 28)

and UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022

In exercise of the powers vested in Section 28(2) of the Central Universities Act 2009, the Executive Council hereby makes the following Ordinance for the award of Ph.D. Degrees in Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University (A Central University) Srinagar, Uttarakhand.

1. Short title, Application and Commencement:

1.1 This ordinance may be called HNB Garhwal University Ordinances for Award of The Doctor of Philosophy (Ph. D.) Degree.

1.2 These Ordinances have been made in accordance with the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022.

1.3 This shall come into force from the date as approved by the Executive Council.

2. Definitions- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires, -

a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

b) "Adjunct Faculty" means a part-time or contingent instructor, but not full-time faculty member hired to teach by a Higher Educational Institution;

c) "Cumulative Grade Point Average (CGPA)" means a measure of the overall cumulative performance of a student over all semesters. The CGPA is the ratio of total credit points secured by a student in various courses in all semesters and the sum of the total credits of all courses in all semesters. It is expressed up to two decimal places;

d) "Credit" means the number of hours of instruction required per week over the duration of a semester. A three-credit course in a semester means three one-hour lectures per week, with each one-hour lecture counted as one credit;

e) "College" means an institution engaged in higher education and/or research, either established by a University as its constituent unit or is affiliated with it;

f) "Commission" means the University Grants Commission established under Section 4 of the UGC Act1956;

g) "Course" means one of the specified units which go to comprise a programme of study;

h) "Course Work" means courses of study prescribed by the School/Department/ Centre to be undertaken by a student registered for the Ph.D. Degree;

i) "Degree" means a degree awarded by a Higher Educational Institution in accordance with the provisions of section 22 (3) of the Act;

j) "External examiner" means an academician/researcher with published research work who is not part of the Higher Educational Institution where the Ph.D. scholar has registered for the Ph.D. programme;

k) "Foreign Educational Institution" means-(i) an institution duly established or incorporated in its home

l) "Full Time Research Candidates" – means such candidates who shall fulfil the mandatory residential period on a fulltime basis and also may be in receipt of the Research Fellowship awarded by the university or an outside agency like DST/DBT/CSIR/UGC etc.

m) "Part-Time Research Candidates"- means candidates and include faculty/staff, project staff like JRF etc. who are on rolls of the University and working under the project supervisors for various sponsored projects. Further, scholars who may be working elsewhere and not in HNBG UNIVERSITY and willing to meet the Ph.D. program progression requirements like residential requirement / course work as laid down by the university may be enrolled as a part time

research scholar (in the school/ departments which may offer part time programs) subject to production of a No Objection Certificate from their organization and facilities for carrying research work in their organization exist to the satisfaction of Board of Studies. Such scholars shall not be awarded any research fellowship/ assistantship by the university.

3. Eligibility criteria for admission to the Ph.D. programme: Subject to the conditions stipulated in these Ordinances, the following persons are eligible to seek admission to the Ph.D. programme:

3.1. For Full Time Ph.D. Candidates

3.1.1.A 1-year/2-semester master's degree programme after a 4-year/8-semester bachelor's degree programme or a 2-year/4-semester master's degree programme after a 3-year bachelor's degree programme or qualifications or a professional degree in the concerned subject or in a cognate or an allied/interdisciplinary subject, (LL.M. in Law/Other Allied Subject) declared equivalent to the Master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with atleast55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a foreign educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country and further certified by the Association of Indian Universities or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions.

A relaxation of 5% of marks, from 55% to50%, or an equivalent relaxation of grade, may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the UGC from time to time.

Provided that a candidate seeking admission after a 4-year/8-semester bachelor's degree programme should have a minimum of 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

Also Provided that any question, as to whether the subject professed by the applicant is a cognate or an allied subject, shall be decided by the concerned Board of Studies and the School Board.

3.1.2.Candidates who have cleared the M.Phil. course work of HNB Garhwal University with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC7-pointscale (or an equivalent grade in apoint scale wherever grading system is followed) and successfully completing the M.Phil. Degree shall be eligible to proceed to do research work leading to the Ph.D. Degree in the HNB Garhwal University.

3.1.3.Candidate in employment shall not be considered for admission to Ph.D. programme, except upon submitting a 'No Objection Certificate' of his/her employer, affirming for leave of absence for the requisite period in order to fulfil the requirement of residential period as stipulated under clause 6.2.

3.2. For Part-Time Ph.D. Candidates

3.2.1. For part time Ph.D. Programme Candidates should have qualified GATE / NET. However, relaxation from the requirement of GATE/NET will be given only for admission into part time Ph.D. Program, for candidates with two years of experience in reputed Academic/Industrial Organizations or Govt. funded Research Projects. Essential qualifications, other terms & conditions will be same as per Ordinances. The selection procedure shall be same as for full time Ph.D. Programme. Other guidelines regarding Registration, Enrolment, Course work, Registration, Seminar, Thesis submission etc. shall be same as applicable to the Full Time Ph.D. Candidates as provided in this Ordinances.

Provided that Board of Studies of the concerned Department and School Board shall be competent to decide the eligibility of any candidate, if he does not fall in the above criteria and the same shall be approved by the Academic Council.

Also Provided for the purposes of completing the Course Work, the Condition as provided in clause 3.1.3. of this Ordinances shall also apply to the Part -Time Ph.D. Candidates.

4. Duration of the Programme:

4.1. For Full Time Ph.D. Candidates

4.1.1.Ph.D. programme shall be for a minimum duration of three years, including course work and a maximum of six years. The candidate shall be required to complete his/her research work and submit the thesis within a period of six years reckoned from the date of his/ her enrolment for the Ph. D. programme in the academic entity concerned:

Provided that the School Board may, after considering the recommendation of the Board of Studies, in a very special case and for reasons to be recorded, grant further extension, of not more than two years. The total period for completion of a Ph.D. programme shall not exceed eight (8) years from the date of admission in Ph.D. programme.

Provided further that in case the candidate fails to submit the thesis within the period permitted for the submission of the thesis, including the periods of the extension thereof his/her admission to the Ph. D. programme shall be liable to be terminated and he /she shall, upon such termination, forfeit all the fees and other dues paid by him/her for and during such admission.

4.1.2. The women candidates and Persons with Disability (more than 40% disability) may be allowed a relaxation of two years for Ph.D. in the maximum duration. Further, male/female candidates shall be eligible for paternity leave (15 days)/maternity/childcare leave (240 days) as per Government of India rules once during their entire tenure as research scholars.

4.2. For Part-Time Ph.D. Candidates

4.2.1. A part-time candidate shall put in a minimum of four years of part-time study in the University including time spent for research at any other place with the permission of the Board of Studies and School Board and due approval of the Vice Chancellor.

Provided that the part-time candidates shall put in residence in the University for at least a total period of two semesters spread over the four-year period.

4.2.2.Six years shall be the maximum period in which the part-time candidate shall complete the research work and submit it for evaluation. However, this time is extendable up to one year in two extensions of six months each in case the Part Time Candidate requests in writing for such extension to the Board of Studies and School Board. Any recommendation of the Board of Studies and School Board in this respect shall come into effect only after the approval by the Vice-Chancellor.

5. Procedure for admission:

5.1 The HNB Garhwal University shall admit Ph.D. students through an Entrance Test as prescribed by the University. However, the following categories of the applicants shall be exempted from the entrance test-

- i) Regularly appointed teachers of this University.
- ii) Teacher Fellow (Under UGC Scheme)
- iii) NET/SLET (Uttarakhand)/ GATE qualified candidates
- iv) M.Phil. candidates of HNB Garhwal University in the subject concerned.
- v) Candidates applying for Part-Time Ph.D.
- 5.2 The HNB Garhwal University shall:

5.2.1 decide on an annual basis through the is academic bodies, a predetermined and manage able number of Ph.D. scholars to be admitted depending on the number of available Research Supervisors and other academic and physical facilities available, keeping in mind the norms regarding the scholar-teacher ratio(as indicated in Clause 8.5), laboratory, library and such other facilities;

5.2.2 notify well in advance through the University website and through advertisement in at least two (2) national news papers, of which at least one (1) shall be in the regional language, the number of seats for admission, subject/discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, procedure for admission, examination centre (s) where entrance test(s) shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates;

5.2.3 adhere to the reservation policy of the Government of India, as applicable

5.3 The admission shall be based on the criteria notified by the HNB Garhwal University keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by the UGC and other statutory bodies concerned and taking in to account the reservation policy of the Government of India from time to time.

5.4 The HNB Garhwal University shall admit candidates by a two-stage process through entrance test and interview:

5.4.1 An Entrance Test that shall be qualifying with qualifying marks as 50%. The syllabus of the Entrance Test shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific. The Entrance Test shall be conducted at the Centre (s) notified in advance.

An entrance test shall be qualifying with qualifying marks as 50% provided that a relaxation of 5% of marks (from 50% to 45%) shall be allowed for the candidates belonging to SC/ST/OBC (Non-Creamy layers/Differently abled, Economically Weaker Section (EWS), and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

Provided further that, if in spite of the above relaxation, the seats allotted for SC/ST/OBC (Non-Creamy layers/Differently abled categories remain unfilled, the University shall launch a Special admission Drive, for the particular category within one month from the date of closure of admission of General Category. The University

will devise its own admission procedure along with eligibility conditions to ensure that most of the seats under these categories are filled.

All those candidates who will qualify in written test will be called for interview along with candidates belonging to those categories which are exempted from written test like NET/SLET/UGC Teacher Fellow/Regular Teacher/M. Phil. from H.N.B. Garhwal University. The JRF (NET) passed candidates and teacher fellows will be counted as the additional seats of the Department subject to the availability of seats with faculty/Supervisor.

- 5.4.2 An interview/viva-voce to be organized by the concerned Department of HNB Garhwal University as mentioned in clause 5.4.1 where the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before a duly constituted Research Advisory Committee/Board of Studies, provided that for the selection of candidates, a weightage of 70% to the entrance test and 30% to the performance in the interview/viva-voce shall be given, while for exempted category candidates, weightage of 30% for UG and 40% for PG shall be given and rest 30% for interview/viva-voce as for other candidates.
- Provided that for admission to Part Time Ph.D. the procedure for selection shall be based on the same parameters of evaluation as the candidates belonging to the Exempted category as provided in clause 5.1. of this Ordinances
- 5.5 The interview/viva voce shall also consider the following aspects, viz. whether:
- 5.5.1 the candidate possesses the competence for the proposed research;
- 5.5.2 the research work can be suitably under taken at the Institution/College;
- 5.5.3 the proposed area of research can contribute to the new/additional knowledge.

5.6 University shall maintain a list of Ph.D. supervisors (specifying the name of the supervisor, his or her designation, and the department/school/centre), along with the details of Ph.D. scholars (specifying the name of the registered Ph.D. scholar, the topic of his/her research and the date of admission) admitted under them on the website of the institution and update this list every academic year.

6. Residency Period, Temporary Withdrawal, Transfer and Conversion

6.1. For Full Time Ph.D. Programme

6.1.1. A Full Time Ph.D. Scholar shall be required to be present in the University for a prescribed period, which is known as the Residency Period which shall be a minimum of 03 continuous years counted from the date of payment of admission fees in the said course.

6.1.2. A Candidate admitted to the Ph.D. Programme may be permitted for temporary withdrawal only after the completion of his/her residency period, i.e. three continuous years as stipulated in the preceding clause. He/she may be permitted to do so by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Board of Studies and the School Board to temporary withdraw from the programme on some specific reasons, and later allowed to join back to complete the research and can submit the thesis after three weeks of joining from withdrawal provided that he/she has successfully gone through the Pre-submission presentation. However, in no case the period including the residency period and period of temporary withdrawal shall exceed the maximum duration of Ph.D. as stipulated in the Ordinances.

6.1.3. Temporary Withdrawal from the programme may be permitted on any one of the following reasons:

- (i) if the candidate is suffering due to prolonged illness, supported by medical certificates
- (ii) on the event of illness/death of candidate's parent/guardians/spouse.
- (iii) if the candidate gets a professional employment

(iv) if a fulltime sponsored candidate after fulfilling the minimum period requirement for the submission of the thesis joins back his/her parent organization.

(v) Any other event in which the Vice-Chancellor is convinced that the situation faced by the research scholar warrants his/her temporary withdrawal from the programme without exceeding the maximum time-limit provided in these Ordinances for submission of the thesis

6.2. For Part Time Ph.D. Programme

6.2.1. A candidate enrolled as a Part Time Ph.D. Programme shall be required to complete the residential period in accordance with the provision under clause 4.2.1 of this Ordinance.

6.3. Transfer of Ph.D. Scholar

In case of relocation of any Ph.D. woman scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided that all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project b secured by the parent institution /supervisor from any funding agency. The scholar will however give due credit to the parent guide and the

institution for the part of research already done. However, no transfer be allowed in extension period.

6.4. Conversion from full-time to part-time Ph.D.

Conversion from full-time to part-time will be permitted only with the recommendation of the Board of Studies and School Board. Board of Studies and School Board shall while making any such recommendation consider all the relevant facts and also record in writing the details in the Minutes of the Meeting. Any such resolution of the Board of Studies and School Board shall be effectuated only after approval of the Vice-Chancellor.

In case a full-time Ph.D. Candidate converts to part-time Ph.D. Candidate, he/she shall forfeit all the benefits (post conversion) that he was entitled to as a full time Ph.D. Candidate. For the purpose of conversion to part-time Ph.D. the candidate must full-fill the eligibility as required in clause 3.2 of this ordinance.

7. Leave and Attendance

7.1. For Full Time Ph.D. Candidates

7.1.1. A Ph. D. scholar shall be eligible to avail a leave of 30 days in an academic year. He/she shall not be entitled for any inter-semester breaks, winter and summer vacations.

7.1.2. The leave shall be granted by the Head of the Department/Coordinator of the School/Centre on the recommendation of the supervisor/co-supervisor.

7.1.3. A candidate is required to sign on all working days of the University in an attendance register to be kept in the concerned Department/School/Centre, except when he/she is on sanctioned leave as per the Clause 7.1.2.

7.1.4. A candidate, who is pursuing course work as a part of his/her Ph.D. programme, is expected to have full (100%) attendance in each course. However, a maximum of 25% attendance may be condoned by the Dean of the concerned faculty for cogent reasons as per university rules.

7.1.5. In addition to the leave as provided in clause 7.1.1., in exceptional circumstances and on medical grounds a Ph.D. Scholar may be allowed a leave for a maximum period of 45 days during the total duration of his Ph.D. Course.

7.1.6 Any unauthorized absence shall be treated as constituting grounds for disciplinary action such as cancellation of admission/registration.

7.2. For Part Time Ph.D. Programme

7.2.1. A Part Time Ph.D. scholar shall be eligible to avail a leave of 30 days in total while fulfilling the requirement of residential period as provided in clause 4.1.1. of this ordinances.

7.2.2. The leave shall be granted by the Head of the Department/Coordinator of the School/Centre on the recommendation of the supervisor/co-supervisor.

7.1.3. A candidate is required to sign on all working days of the University in an attendance register to be kept in the concerned Department/School/Centre, except when he/she is on sanctioned leave as per the Clause 7.2.2 in compliance with the requirement under Clause 7.2.1.

7.2.4. A candidate, who is pursuing course work as a part of his/her Ph. D. programme, is expected to have full (100%) attendance in each course. However, a maximum of 25% attendance may be condoned by the Dean of the concerned faculty for cogent reasons as per university rules.

8. Allocation of Research Supervisor: Eligibility criteria to be a Research Supervisor, Co-Supervisor, Number of Ph.D. scholars permissible per Supervisor, etc.

8.1 Permanent faculty members working as Professor/Associate Professor of the Higher Educational Institution with a Ph.D., and at least five research publications in peer-reviewed or refereed journals and permanent faculty members working as Assistant Professors in Higher Educational Institutions with a Ph.D., and at least three research publications in peer-reviewed or refereed journals may be recognized as a Research Supervisor in the university where the faculty member is employed or in its affiliated Post-graduate Colleges/institutes. Such recognized research supervisors cannot supervise research scholars in other institutions, where they can only act as co-supervisors. Ph.D. awarded by a university under the supervision of a faculty member who is not an employee of the university or its affiliated Post-graduate Colleges/institutes.

For Ph.D. scholars working in Central government/ State government research institutions whose degrees are given by Higher Educational Institutions, the scientists in such research institutions who are equivalent to Professor/Associate Professor/Assistant Professor can be recognized as supervisors if they fulfill the above requirement.

Provided that in areas/disciplines where there is no or only a limited number of UGC Care Listed/ Refereed/ Peer Reviewed journals, the Institution may relax the above condition for recognition of apers on as Research Supervisor with reasons recorded in writing by the concerned Board of Studies and School Board. No supervisor shall be a relative of the candidate (as defined by the Company Act of 2013.)

8.2 Only a full-time regular teacher of the University Departments / Center can act as a supervisor. The external supervisors are not allowed. However, Co- Supervisor can be allowed in inter-disciplinary are as from other departments of the same institute or from other related institutions with the approval of the Research Advisory Committee/Board of Studies.

8.3 The allocation of Research Supervisor for as elected research scholar shall be decided by the Department concerned depending on the number of scholars per Research Supervisor, the available specialization among the Supervisors and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview/viva voce.

8.4 In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department has to be supplemented from outside, the Department may appoint a Research Supervisor from the Department itself, who shall be known as the Research Supervisor, and a Co-Supervisor from outside the Department / Institution on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting Institutions / Colleges.

8.5 A Research Supervisor /Co-supervisor who is a Professor, at any given point of time, cannot guide more than Eight (8) Ph.D. scholars. An Associate Professors Research Supervisor can guide up to a maximum of six (6) Ph.D. scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of four (4) Ph.D. scholars at one time.

Provided that for the purpose of counting the number of Ph.D. Scholars pursuing Ph.D. under a Research Supervisor, a Part Time and Full Time Ph.D. Scholar shall be counted.

8.6.In the case of the absence of supervisor from the station, on leave or otherwise, for more than one year, the Board of Studies may, in accordance with the standing instructions, of the School Board assign any other such supervisor of the concerned academic entity who has knowledge of the area of research of the candidate, as temporary supervisor of the candidate for the period of such absence provided he is eligible to be a supervisor under clauses 8.1. and 8.2 above:

Provided that where the supervisor relinquishes his/her assignment as such, or permanently leaves the area or is otherwise no longer in a position to supervise candidates on production of a No-Objection certificate (except on the case of the death of the supervisor) the Board of Studies shall in respect of the candidates enrolled with the said supervisor, recommend to the School Board through the Dean of the School the name of such other persons eligible to act as supervisors or to be the new supervisors of such candidates, without exceeding, the enrolment limits specified in clause 8.5 above.

8.7 Faculty members with less than three years of service before superannuation shall not be allowed to take new research scholars under their supervision. However, such faculty members can continue to supervise Ph.D. scholars who are already registered until superannuation and as a co-supervisor after superannuation, but not after attaining the age of 70 years.

9. Course Work: Credit Requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc. (Applicable to Part Time- and Full-Time Ph.D. candidates)

9.1 The credit assigned to Ph.D. courses work shall be a minimum of 12 credits and a maximumof16 credits.

The structure of course will be as Follows (total 15 credits):

- Core course 1 (04 credits): Research Methodology;
- Core course 2 (03 credits):
 - (a) Research and Publication Ethics (02 credits);
 - (b) Content to be decided by the concerned BOS (01 credit)
- Two elective courses of 04 credits each (total 08 credits) as finalized by the concerned BOS

9.2 The course work shall be treated as prerequisite for Ph.D. preparation. A minimum of four credits shall be assigned to one or more courses on Research Methodology which could cover are as such as quantitative methods, computer applications, research ethics and review of published research in there levant field, training, field work, etc. Other courses shall be advanced level courses preparing the students for Ph.D. degree.

9.3 All courses prescribed for Ph.D. course work shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods. They shall be duly approved by the authorized academic bodies.

9.4 The Department, where the scholar pursues his/her research shall prescribe the course (s) to him/her based on there commendations of the Board of Studies and School Board, as stipulated under sub-Clause 9.1.

9.5 All candidates admitted to the Ph.D. programme shall be required to complete the course work prescribed by the

Department during the initial one or two semesters.

9.6 Candidates already holding M.Phil. Degree of HNB Garhwal University and admitted to the Ph.D. programme, or those who have already completed the course work in M.Phil. ,may be exempted by the concerned Board of Studies and School Board from the Ph.D. course work. All other candidates admitted to the Ph.D. programme shall be required to complete the Ph.D. course work as prescribed by the Department.

9.7 Grades/ marks in the course work, including research methodology courses shall be finalized by the Department and the final grades shall be communicated to the Institution/College by the Controller of Examinations.

9.8 A Ph.D. scholar must obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade B+ in the UGC 10-pointscale (or an equivalent grade /CGPA in a point scale wherever grading system is followed) in the course work in order to be eligible to continue in the programme. The Academic Council is authorized to amend the course work from time to time on the recommendations of concerned Board of Studies and School Board, however, it will have prospective effect.

10. Examination and Evaluation of the Course-work (Applicable to Part Time and Full Time Ph.D. candidates)

1. Evaluation shall be done on a continuous basis. For the purpose of uniformity, there will be two sessional tests and one End-semester examination. Sessional tests (of one hour duration) may employ one or more assessment tools such as objective tests, assignments, paper presentation, laboratory work, etc. suitable to the course.

2. Students shall compulsorily attend the two sessional tests, failing which they will not be allowed to appear for the end semester examination. In case of students who could not attend any of the sessional tests due to medical reason or under extraordinary circumstances, a separate test shall be conducted before the End Semester Examinations with the permission of the Dean of the School/ on recommendation of the Head of the Department.

3. The sessional tests will carry 40% of the total marks for the course. The marks of the two Sessional Tests shall be considered for the computation of Grades. There shall be one End semester examination of 2 hours duration carrying 60% of Marks in each course covering the entire syllabus prescribed for the course at the end of the semester only. The End semester examination shall be normally a written/laboratory-based examination. The End semester examination and evaluation shall be conducted by the University.

4. A candidate who has less than 75% attendance shall not be permitted to sit in examination however, it shall be open to the Dean/ to grant exemption to a candidate who has failed to obtain the prescribed 75% attendance for valid reasons on payment of prescribed fee and such exemptions shall not under any circumstances be granted for attendance below 65%.

5. The Dean/ through the Head of the Department shall announce the names of all students who will not be eligible to take the examinations and send a copy of the same to the Registrar and Controller of Examination.

11. Marks and Grading of the Course-work

1. A candidate has to secure a minimum of 55 percent of marks in aggregate and 50 percent of marks (Two Sessional Tests marks and End-Semester examination mark) in each paper/course, to pass. A candidate who has not secured a minimum of 55 percent of marks in aggregate and 50 percent of marks in each paper/course shall be deemed to have failed. A failed student shall be allowed to repeat the semester examinations for a maximum of two times in the initial two semesters duration and he/she has to pass the Pre Ph.D. course to continue into Ph.D. The Department shall ensure that the said examinations for the students who fail in the Course Work Examinations be conducted in orderly and time bound manner. The Sessional Marks obtained by the student shall be carried over for declaring the result.

2. The percentage of marks obtained by a student in a course will be indicated by a grade point and a letter grade. A Six (06) point scale shall be used for the evaluation of the performance of the student as given below:

MARKS	GRADE POINT	LETTER GRADE
75-100	5.50-6.00	0
65-74	4.50-5.49	A+
60-64	4.00-4.49	А
55-59	3.50-3.99	B+
50-54	3.00-3.49	В
Below 50%	0.00-2.99	F

3. The system of evaluation shall be transparent and students shall have the right to examine their marked answer scripts. The teacher of a course shall give the attendance and performance sheets for Sessional Test I and Sessional Test II to

the Head of the Department, who in turn shall consolidate all such sheets and the same shall be forwarded to the Controller of Examinations through the Dean. The Controller of Examinations shall issue the Marks sheet and the Grade Statements to the Students.

12. During the course work

1. The candidate shall submit along with the application form, 03 copies of the brief synopsis drawn up by him/her, in consultation with the supervisor, which shall be forwarded by the Head of the Department to the Board of Studies. Provided that the said synopsis shall ordinarily be in not more than 3000 words and shall present a review of the literature and current state of knowledge on the proposed topic of research, the objectives, hypotheses (wherever required) and plan of research including the sources, and methodology proposed to be employed in the investigation and such other information as may be relevant in that regard.

2. The Board of Studies shall examine the list, the applications and the synopsis with reference to the provisions of this Ordinance and the Regulations. Such applicants shall be asked to make a presentation about their topic and synopsis before the Board of Studies. The Board of Studies shall grant admission to such applicants as are, in its judgment, suitable for Registration, and also finalize the research topics of each admitted candidate. The recommendations of the Board of Studies shall be forwarded to the Vice Chancellor through the School Board and also reported to the Academic Council.

3. In furtherance of the decision of the Vice Chancellor to grant admission to a candidate, the Registrar shall issue a letter of admission to him/her specifying the name of his/her supervisor, the topic of his/her research, the academic entity where he/she shall be enrolled and the period ordinarily of not more than one month, within which he/she is required to get himself/herself enrolled for the Ph. D. programme after paying the prescribed fees and completing other requisite formalities:

Provided that where the candidate gets himself/herself so enrolled within the said period, his/her enrolment shall be with effect from the date of taking admission (submitting fees) for the pre-Ph.D. course.

4. The schedule of the fees and other dues, including fees for the examination of the thesis and the viva voce examination, to be charged to candidates, and the manner of the payment thereof, shall be laid down, from time to time, on the recommendation of the Academic Council by the Executive Council, and the provisions in respect of the consequences of failure to pay such fees and other dues within the time specified for the purpose, and other conditions for the continuation or termination of the admission of the candidate shall be prescribed by the Academic Council by Regulations.

5. The candidate shall not be entitled, or permitted, to secure admission to, or continue his earlier admission in, any other degree granting courses of study or whole-time academic programme, whether in the University or in any other institution, and his/her admission to the Ph. D. programme shall stand terminated at whatever stage he/she is discovered to have been in violation of this requirement.

6. The candidates shall not be entitled, or permitted, to serve in any institution/organization during the whole program, if found so, his/her admission to the Ph. D. programme shall stand terminated at whatever stage he/she has been. However, this condition may be relaxed for the candidates enrolled in Part-Time Ph.D. Programme on the recommendation of the Board of Studies and School Board and after approval by the Vice Chancellor.

7.The candidate holding a Fellowship awarded by of the University/ University Grants Commission, the Council of Scientific and Industrial Research or any other national/international funding agency, or any other research fellowship or scholarship may be required to assist in the teaching and other academic work of the academic entity concerned, in accordance with the rules laid down by the Academic Council/ the Vice-Chancellor/ the relevant funding agency.

13. Role and Functions of Research Advisory Committee(RAC) and The Board of Studies(BoS)

13.1 There shall be a RAC/<u>BoS</u>, or an equivalent body for similar purpose as defined in the Statutes/Ordinances of the Institution concerned, for Ph.D. scholar. The Research Supervisor of the scholar shall be the Convener of RAC. <u>Chairperson of concerned BOS will be the Chairperson of RAC</u>. This Committee shall have the following responsibilities:

13.1.1 To review the research proposal and finalize the topic of research;

13.1.2 To guide the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do.

13.1.3 To periodically review and assist in the progress of the research work of the research scholar.

13.2 A Part Time- and Full-Time research scholar shall appear before the RAC/BoS once in six months to make a presentation of the progress of his /her work for evaluation and further guidance. The six-monthly progress report shall be submitted by the candidate to the RAC/BoS with a copy to the Institution/ University. If they fail to submit two consecutive six monthly progress reports the candidature will automatically stand cancelled.

13.3 In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the RAC/BOS shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the research scholar fails to implement these corrective measures, the RAC/BoS may recommend to the University with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

14. Evaluation and Assessment Methods, minimum standards /credits for award of the degree, etc.:

14.1 Upon satisfactory completion of course work and obtaining the marks/grade prescribed, as the case may be, the Ph.D. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft thesis within a reasonable time, as stipulated by the Institution concerned based on these Regulations.

14.2 Prior to the submission of the thesis, the scholar shall make a presentation in the Department before the BOS of the Institution concerned which shall also be open to all faculty members and other research scholars. The feedback and comments obtained from them may be suitably incorporated into the draft thesis in consultation with the BOS. If the BOS is satisfied with the pre-submission seminar of the candidate, the Convener of the BOS shall forward the application of the candidate for submission of the thesis along with a certificate about the satisfactory completion of the pre-submission seminar (Annexure-G).

14.3 Ph.D. scholars must publish at least one (1)research paper in UGC Care Listed/ Peer-reviewed/Refereed journal and make two paper presentations in Conferences/Seminars before the submission of the thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.

Further, at the time of Pre-thesis Presentation, the scholar shall submit plagiarism certificate in front of the (DAIP) Department Academic Integrity Panel for its consideration and recommendations to the BOS. The provisions of University Grants Commission (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018 shall apply in this respect.

14.4 The Academic Council of the University shall evolveamechanismusing well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty. While submitting for evaluation, the thesis shall have an under taking from the research scholar and a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work was carried out, or to any other Institution.

14.5 The candidate is required to submit the thesis within three months from the date of his/her pre-submission seminar (without exceeding the maximum time limit for the submission of the thesis), failing which he/she shall be required to deliver a fresh pre-submission seminar. The candidate shall submit the thesis to the Academic Section of the University, duly forwarded by the Head of the Department. While submitting the thesis, the candidate shall submit the following:

- i. One (01) hard copy and soft copy (non-editable format) of the summary and synopsis of the thesis.
- ii. One (01) hard copy and soft copy (non-editable format) of the thesis.
- iii. The thesis submitted by the candidate shall mandatorily contain:
- a. The Outer Cover of the thesis as per the format given in Annexure A
- b. The Inner Cover of the thesis as per the format given in Annexure B
- c. A declaration by the candidate as per the format given in Annexure C
- d. A Certificate by the Supervisor as per the format given in Annexure- D
- e. A plagiarism Certificate by the person duly authorised by the University as per the format given in Annexure- E
- f. A copyright transfer certificate as per the format given in Annexure F

14.6 The Ph.D. thesis submitted by a Ph.D. scholar shall be evaluated by three external examiners who are experts in the field and not in employment of HNB Garhwal University. Such examiner(s) should be academics with a good record of scholarly publications in the field. Wherever possible, one of the external examiners should be chosen from outside India. The viva-voce board shall consist of the Research Supervisor and at least one of the three external examiners and may be conducted online. The viva-voce shall be open to the members of the Research Advisory Committee/faculty members/research scholars, and students.

14.7 The *viva-voce* of the research scholar to defend the thesis shall be conducted only if the evaluation report (s) of all the external examiners on the thesis are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the *viva-voce* examination. If one of the evaluation reports of the external examiner is unsatisfactory and does not recommend *viva-voce*, the HNB Garhwal University shall send the thesis to alternate external examiner out of the approved panel of examiners and the *viva-voce* examination shall be held only, if the report (Annexure H) of the alternate examiner is satisfactory. If the alternate examiner does not recommend acceptance of the thesis, the thesis shall be rejected, and the Ph.D. Scholar shall be declared ineligible for the award of Ph.D.

14.8 The Academic Council of HNB Garhwal University shall develop appropriate methods so as to complete the entire process of evaluation of Ph.D. thesis preferably within aperiod of six months from the date of submission of the thesis.

14.9. All related documents One (01) Hard Copy of the above-mentioned documents so that these can be sent online/offline to the examiners for the evaluation of the thesis.

15. Treatment of Ph.D. through Distance Mode:

15.1 Not with standing any thing contained in these Regulations or any other Rule or Regulation, for the time being in force, HNB Garhwal University shall not conduct Ph.D. Programme through distance and/or Online education mode.

15.2 Part-time Ph.D. will be allowed provided all the conditions mentioned this Ordinances are fulfilled..

16. Award of M.Phil./Ph.D. degrees prior to Notification of these Regulations

16.1 Award of degrees to candidates registered for the M.Phil./Ph.D. programme on or after July 11, 2009 till the date of Notification of these Regulations shall be governed by the provisions of the UGC (Minimum Standards and procedure for Awards of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation,2009 and 2016 as adopted by the HNB Garhwal University. Further, the award of degrees to candidates already registered and pursuing Ph.D. shall be governed by these Regulations or UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2016. Nothing in these Regulations shall impact the M.Phil. degree programmes commencing prior to the enactment of these Regulations.


17. Depository with INFLIBNET:

17.1 Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree, the University shall submit an electronic copy of the Ph.D. thesis to the INFLIBNET, for hosting the same so as to make it accessible to all Institutions/Colleges.

17.2 Prior to the actual award of the degree, the University shall issue a provisional Certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions of these UGC Regulations,2022.

Dr. RAKESH KUMAR DHODI, Registrar [ADVT.-III/4/Exty./34/2025-26]

Annexure A



Annexure **B**

Title of the Ph.D. Thesis Thesis submitted to H.N.B. Garhwal University



In Partial fulfilment of the requirements for the award of the

Degree of Doctor of Philosophy In (Subject) Under the Supervision of

(Details of Supervisor)

(Details of Research Scholar)

..... (Name of the Department) HNB Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand

Annexure C Declaration by the Scholar

I......, student of Ph.D., hereby declare that the thesis titled "......" which is submitted to the Department of, HNB Garhwal University, Srinagar Garhwal Uttarakhand, in partial fulfilment of the requirement for the award of the degree of Doctor of Philosophy has not previously formed the basis for the award of any Degree, Diploma, Associateship, Fellowship or other similar title or recognition. I further declare that I have fulfilled the requirements of (clauses of the ordinance dealing with essential requirements) of the Ph.D. Ordinance of the University, the details of which are enclosed in the Thesis. From the plagiarism test, it is found that the similarity index of the whole thesis is which is within the limit of 10% as prescribed by the UGC (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulation, 2018. **Date:**

Place:

(Signature and name of the Scholar)

Annexure D Certificate by the Supervisor

Certificate

This is to certify that the thesis titled, "....." submitted by "....Name of the scholar....." Registration No. in partial fulfilment of the requirement for the award of degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) to H.N.B. Garhwal University, Srinagar Garhwal, Uttarakhand has submitted the thesis under my guidance and supervision. This thesis fulfils the requirements of the rules and regulations relating to the nature of the degree and is suitable for submission.

Date: Place: Name of the Supervisor Designation

Annexure E

Plagiarism Verification Certificate

Registration No.:

- 1. Name of Research Scholar:
- 2. Course:
- 3. Title of the Thesis:
- 4. Department:
- 5. School:
- 6. Name of the Supervisor:
- 7. Name of the Co-Supervisor (s), if any:

This thesis has been checked for similarity index by the designated person/Librarian. The summary of similarity test report is as follows:

Software Used		Dated	
Total Word Count		Similarity Index	
Paper Id:	1		1

The plagiarism report of this thesis has been reviewed by the undersigned and the similarity index is within the UGC (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulation, 2018. This thesis may be considered for submission. The similarity check report is generated by Turnitin/Urkund software is attached herewith.

Designated Authority (Librarian)

Annexure F

Copyright Transfer Certificate

Title of the Thesis: Candidate's Name: Registration No.:

Copyright Transfer

The undersigned hereby assigns to the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University Srinagar Garhwal, Uttarakhand all rights under copyright that may exist in and for the above thesis submitted for the award of the Ph.D. degree.

(Signature of the Candidate)

Note: However, the author may reproduce or authorize others to reproduce material extracted verbatim from the thesis for author's personal use provided that the source and the University's copyright notice are indicated.

Annexure G

Pre- Submission Seminar Completion Certificate

This is to certify: -

- (a) That Sri/Ms is a bonafide research scholar of Department of Batch......
- (b) That his/her open Ph.D. thesis Pre-Submission on (topic)....., was held on (date)..... in the Department from (time)......
- (c) That the Board of Studies is satisfied with the quality of the work of candidate.
- (d) That the candidate described the thesis work satisfactorily and answered the questions related with the basic understanding of the subject and the thesis work satisfactorily.
- (e) That the Board of Studies gave suggestions for the improvement of quality of work/performance (if applicable).

Date:

Place:

(Signature of Convener BOS/ Head)

Annexure H HNB GARHWAL UNIVERSITY F OF THE EXAMINED OF THE THESIS OF THE CANDIDATE FOR THE PLD. DECOM

REPORT OF THE EXAMINER OF THE THESIS OF THE CANDIDATE FOR THE Ph.D. DEGREE 1 Name of the Candidate

- Name of the Candidate......
 The Department of under the School of.....
- The Department of under the School
 Title of the thesis submitted by the Candidate:....
 - . Title of the thesis submitted by the Candidate:....

PART-I

I have examined the thesis for the degree of Doctor of Philosophy submitted by the Candidate named above on the topic set out above, and have to report:

- (A) That the thesis submitted by the Candidate---
 - (i) Is a piece of research work characterized by the discovery of facts or by a fresh approach towards interpretation of facts or theories;
 - (ii) Evinces the capacity of the candidate for critical examination and judgment;
 - (iii) Is satisfactory so far as its literary presentation is concerned; and
 - (iv) Is suitable for publication as a thesis approved for the degree of Doctor of Philosophy of the HNB Garhwal University.
- (B) That the thesis submitted by the candidate deserves to be re-submitted in a revised form.
- (C) That the thesis submitted by the candidate deserves to be rejected without further assessment.

PART II

Detailed report of the examiners to be enclosed separately.

PART III

I recommend-

- (a) That the thesis be approved for the award of the degree of Doctor of Philosophy OR
- (b) That the candidate be required to re-submit his/her thesis in a revised form, within the prescribed period, after the communication to him/her on the lines on which the revision of his/her thesis is recommended. OR
- (c) That the thesis rejected without further assessment, and the degree of Doctor of Philosophy be not conferred on the candidate.

Signature of the Examiner of the Thesis Name: (.....)

1. Address:....